UPSB010022192026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन–राम सुलीन सिंह, एच.जे.एस.UP1886

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–972/2026

प्रमोद उर्फ कातिया खरवार उम्र 20 वर्ष पुत्र रमाशंकर खरवार, निवासी–ग्राम लोढ़ी, थाना–राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

1. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/ अभियुक्त **प्रमोद उर्फ कातिया खरवार** के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीकान्त पाठक एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री ज्ञानेन्द्र शरण राय को सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

2. प्रार्थी **प्रमोद उर्फ कातिया खरवार,** मुकदमा अपराध संख्या– 321/2026, अं.धारा–307, 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के प्रकरण में अभियुक्त है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उसकी इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल नहीं किया है और न ही विचाराधीन है। आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् यह कथन किया गया है कि अभियोजन कथानक सरासर झूठा एवं बेबुनियाद है वह एक सीधा–साधा मेहनत मजदूरी करने वाला सदस्य है। उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप झूठे हैं। कत्तई तौर पर कथित घटना स्थल से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, न ही कोई बरामदगी की गयी है। उसे घर से उठाकर थाने लाया गया और उसकी जेब से पैसे व मोबाइल निकाल कर बरामदगी दिखायी गयी है। वह दिनांक 27.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत से छूटने पर जमानत के शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा तथा निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। उक्त आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा बिहारी पुत्र अमरनाथ, निवासी–मझुई, थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र ने सम्बन्धित थाने पर इस आशय की तहरीर दिया कि मोबाइल नम्बर–8303702501 व खलासी वासुदेव पुत्र कृष्णा, निवासी तेलगुड़वा, थाना चोपन, सोनभद्र दीप ट्रेलर सी.जी. 15 ई.जी.–3623 को लेकर राबर्ट्सगंज की तरफ से डाला गिट्टी लोड करने जा रहा था और टोल प्लाजा लोढ़ी से पहले बांये तरफ गाड़ी खड़ी करके पेशाब करने के लिए उतरा और उसके बाद जब पुनः गाड़ी में बैठा तो लम्बा कू बनाने लगा उसी दौरान डीजल गंध मिली तो नीचे उतरकर देखा तो टंकी के नीचे बैठकर कुछ लोग डीजल निकाल रहे थे तब वह चिल्लाया तो वह लोग चुराये गये डीजल को लेकर भागने लगे। वह और खलासी पीछा किये तो वह सब ईंट पत्थर से टुकड़े चलाने लगे, जिससे खलासी घायल हो

....2

गया था। चूंकि वह गाड़ी लेकर बाहर चला गया। इसलिए आज वापस आने के बाद सूचना देने आया है। उक्त आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

6. सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे व अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग लगाया गया है कि वह सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की गाड़ी नम्बर–CG 15EG 3623 से डीजल चुराकर भागना बताया गया है तथा वादी मुकदमा व उसके खलासी द्वारा अभियुक्त का पीछा करने पर उनके द्वारा ईंट पत्थर का टुकड़ा चलाया जाने लगा, जिससे खलासी घायल हो गया। उक्त चोरी का सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना कथित नहीं है। मामले में मुकदमा वादी व उसके खलासी के उपर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर ईंट पत्थर से मारकर घ ाायल करने का कथन किया है किन्तु इस स्तर पर अभियोजन द्वारा इंजरी के संबंध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक–27.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।

8. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मैं पाता हूँ कि प्रार्थी/ अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रमोद उर्फ कातिया खरवार,** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–321/2026, अं.धारा–307, 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से रु0 50,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो विश्वसनीय स्थानीय ज़मानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि अनुसार दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाय–

1. प्रार्थी/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा–351 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत परीक्षण के दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्य क्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करे।
4. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा एवं जो अभियोग प्रार्थी पर लगाया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध नहीं करेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत देश नहीं छोड़ेगा।
6. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्घ विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक 01.06.2026

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
सोनभद्र